भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3528** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026/22 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है

महाराष्ट्र में पोत निर्माण कंपनियां

†3528. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत निर्माण और पोत मरम्मत कंपनियां पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति और महाराष्ट्र में पोत मरम्मत क्लस्टर विकास सहित कई केंद्रीय प्रोत्साहनों का एक साथ लाभ उठाने के लिए पात्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए समान पात्रता और प्राथमिकता संबंधी दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में ऐसे कितने पोत निर्माण केंद्रों ने एक से अधिक प्रोत्साहनों का लाभ उठाया है और उन्हें कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है;

(घ) क्या लाभ का एक बड़ा हिस्सा कुछ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र के मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे तटीय जिलों में पोत निर्माण क्षमता, निर्यात और रोजगार में हुए वास्तविक सुधारों को मापने के लिए कोई स्वतंत्र आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उन कंपनियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें एक से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुए हैं और महाराष्ट्र सहित देश भर में दोहराव या ओवरलैप के राज्य-वार कितने मामले सामने आए हैं; और

(छ) पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दुरुपयोग रोकने, प्रक्रियात्मक देरी को कम करने और महाराष्ट्र में छोटे एवं मध्यम पोत निर्माण केंद्रों की निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (छ): भारत सरकार ने वर्ष 2016 में, पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएपी), को अनुमोदित किया है जिसके तहत भारत में पोत निर्माण और पोत मरम्मत कंपनियां उनके द्वारा निष्पादित किए गए जलयान निर्माण ऑर्डर के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध है।

इसके अलावा, 2024 में एक तृतीय पक्ष के माध्यम से पोत निर्माण क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में पोत निर्माण क्षेत्र के 6.4 के उच्च रोजगार गुणक और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के रोजगार सृजन की विशाल संभाव्यता पर प्रकाश डाला गया। इसने भारत में पोत निर्माण के विकास को बाधित करने वाली चुनौतियों जैसे घरेलू मांग की कमी, वित्तपोषण की उच्च लागत, क्षमता और प्रौद्योगिकीय बाधाओं आदि पर भी प्रकाश डाला। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने सितंबर 2025 में, पोत निर्माण और समुद्री क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पोत निर्माण पैकेज की मंजूरी दे दी है जिसमें पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) और पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) शामिल हैं।

ये योजनाएँ, भारत में सभी शिपयार्डों के लिए खुली हुई हैं। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने और सभी शिपयार्डों की निष्पक्ष और सार्थक- भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, विस्तृत योजना दिशानिर्देश और पात्रता मानदंड अधिसूचित किए हैं। सरकार दिशानिर्देश जारी करने से पहले छोटे और मध्यम शिपयार्डों सहित शिपयार्डों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्योग के साथ हितधारक परामर्श करती है।

दिसंबर 2025 में, एसबीएफएएस और एसबीडीएस के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और शिपयार्डों ने, उक्त योजना के तहत आवेदन देना शुरू कर दिया हैं। इन दिशा- निर्देशों के तहत वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदन अभी जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए, शिपयार्डों ने अब तक इस सहायता का लाभ केवल एसबीएफएपी योजना के तहत जलयान निर्माण ऑर्डर के लिए उठाया है। इसके अलावा, एक शिपयार्ड एसबीएफएपी या एसबीएफएएस में से किसी एक के तहत जलयान निर्माण ऑर्डर के लिए वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त, शिपयार्ड एसबीडीएस के तहत क्षमता विस्तार के लिए वित्तीय सहायता ले सकते हैं।

एसबीएफएपी, एसबीएफएएस और एसबीडीएस के तहत आवेदन, एक ऑनलाइन पोर्टल पर किए जाते हैं, जो आवेदनों की पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और तेज प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।
